संख्या-234/2022/270/41-2022-86(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय:- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम की रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास योजना हेतु कार्यदायी संस्था-सरयू नहर खण्ड, सिंचाई विभाग, अयोध्या को देय सेन्टेज चार्ज एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-8409/SS/Ayodhya/2021, दिनांक 26.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ,जिसके माध्यम से भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम की रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास योजना के कार्यों को कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, अयोध्या के पत्र सं0-778/स0न0ख0अयो0/पर्यटन, दिनांक 24.03.2022 द्वारा जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 383.99 लाख को अवमुक्त करने के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 383.99 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया कराया जायेगा।

(**2**) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपरोक्तानुसार जी0एस0टी0 मद में धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रामाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(**3**) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(**4**) उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

2- प्रस्तर-1 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0के.)-24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3- प्रस्तर-**1** में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, अयोध्या।
5. जिलाधिकारी, अयोध्या।
6. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, लखनऊ
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, सिंचाई विभाग, अयोध्या
10. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8,**9** व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।